कार्यालय जिलाधिकारी, आजमगढ़

(6)

संख्या 269/सात–भूलेख–ले0प0–2015 दिनांक 27 जून, 2017

आदेश/आवंटन

लेखपाल भर्ती परीक्षा–2015 में चयनित 615 अभ्यर्थियो में से 608 अभ्यर्थियों का परिषदादेश संख्या 2749/4–1बी/2016 दिनांक 18.04.2016 में निहित निर्देशों के कम में चरित्र सत्यापन प्राप्त होने पर जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त इन्हें लेखपाल पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु तहसील आवण्टन किया जा चुका है। पुनः परिषदादेश संख्या–2749 /4–1बी/2016 दिनांक 18.04.2016 द्वारा निर्गत निर्देशो के कम में अवशेष अभ्यर्थियों में से 03 अभ्यर्थियों को लेखपाल पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु सत्यापन प्राप्त हो चुका है।

अतः जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 27.05.2017 द्वारा इन अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली–2006 यथा संशोधित–2015 के अन्तर्गत तहसील का आवंटन निम्नवत् किया गया है:–

Serial n0	Result Serial n0	Roll Number	Selected candidate's Full Name	Father's Name	Sex	select in category	Address		Allotted Tehsil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18	191217660385	DEVESH SHARAN PANDEY	Shiv sharan pandey	Male	UR	जयपुर	राजस्थान	SAGARI
2	31	191217870298	SATYAVEER SINGH PARMAR	BHAGVAN SINGH PARMAR	Male	UR	आगरा	उ0प्र0	SAGARI
3	77	192216870430	SANJEEV SINGH YADAV	AMINDRA NATH SINGH YADAV	Male	UR	गाजीपुर	उ0प्र0	BUDHANPUR

उपर्युक्त चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी /उपजिलाधिकारी को निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैः–

1– अभ्यर्थियों से संबंधित पत्रावली में उनके चरित्र सत्यापन एंव अन्य अभिलेख संलग्न है।

2–लेखपाल पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली– 2006 यथा संशोधित नियम–17 के अन्तर्गत एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा प्रशिक्षण के अन्त में एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जायेगी।

3– मा0 राजस्व परिषद के पत्र संख्या 2019/4–3ए/2013टी0सी0 दिनांक 12 जून 2017 द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करके प्रशिक्षण में भेजे जाने के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये हैं कि इन अभ्यर्थियों को मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालयों में मृतक आश्रित एवं अन्य अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण हेतु आहूत किये गये सत्र में प्रशिक्षण में भेजा जायेगा।

अतः मा0 राजस्व परिषद के पत्र संख्या 1953/4–1बी/2015 दिनांक 28.04.2017 द्वारा चयनित/नियुक्त किये गये लेखपालों को दिनांक 04.07.2017 तक मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय बिजनौर में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजा जायेगा। तदनुसार इन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अवमुक्त करना भी सुनिश्चित करें।

4–राजस्व परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों के कम में उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके गृह निवास के विकास खण्ड को छोड़कर नियुक्ति प्रदान की जायेगी ।

5–नियुक्ति आदेश में लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के नियम–18(4) का उल्लेख अवश्य किया जाय।

6–नियुक्ति प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों/ अन्य प्रमाण पत्रों की परीक्षणोपरान्त नियुक्ति आदेश निर्गत किये जायेंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से भूलेख अनुभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(बी0के0गुप्ता)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
आजमगढ़।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग–4 लखनऊ।
2–आयुक्त आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
3–उपजिलाधिकारी सगड़ी/ बूढ़नपुर आजमगढ़।
4– उपजिलाधिकारी निजामाबाद/नोडल अधिकारी लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय आजमगढ।
5–प्रधानाचार्य, राजस्व लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय आजमगढ़।
6–डी0आई0ओ0(एन0आई0सी0) को इस निर्देश के साथ कि आदेश को जनपद की वेबसाइट ***http//azamgarh.nic.in*** पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
आजमगढ़।